

Public Charge

प्रशासकीय दण्ड

पोषण लाभ और प्रशासकीय दण्डः

आप्रवास पर प्रभाव

आहार एवं पोषण सेवा (Food and Nutrition Service – FNS) के माध्यम से पोषण सहायता प्राप्त करने से कोई आप्रवासी "प्रशासकीय दण्ड" का भागी नहीं होता। अर्थात् संयुक्त राज्य में मौजूद किसी आप्रवासी को इसलिए देश से निकाला, देश में प्रवेश से वर्चित अथवा स्थायी स्थिति से वर्चित नहीं किया जाएगा क्योंकि वह फूड-स्टाम्प, डब्ल्यू आई सी (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children – WIC) के लाभ, निःशुल्क अथवा कम किये गये मूल्य पर स्कूल लंच अथवा आहार एवं पोषण सेवा की अन्य पोषण सहायता प्राप्त करता / करती है।

यदि आप अधिक जानकारी चाहें, कृपया निम्न पते पर हमारी वेब साइट पर पढ़ाएँ:

www.fns.usda.gov

अथवा

यदि आपकी पहुँच कम्प्यूटर तक नहीं है, कृपया जानकारी की प्रतियों के अनुरोध हेतु हमारे निःशुल्क नंबर **1-800-221-5689** पर फोन करें।